CERTIFICATE

क्रमांक/CERT10137/2020/NOCR2210137

दिनांक : 10-02-2021

It is hereby certified that the Recognition of School Sanskar Public School, situated at Sagar Road, Near Toll Booth, Raisen, District RAISEN in the state of Madhya Pradesh bearing UDISE Code No. 23340511904 is hereby extended, for the purpose of Affiliation with the for Renew till 2024-25 under the MP State Recognition Rule (मान्यता नियम) 2017 on following terms and conditions -

1. School should admit students only up to the level for which recognition is granted. If School is found violating rules then Department is viable to take any action, including Cancellation of Recognition of School.
2. Latest Recognition Certificate of School should be displayed in School Notice Board and Principal Room.
3. School Principal/Director and Teachers are not allowed to associate with any Political groups Also, school should not allow their students to participate in any political activities during school hours.
4. School has to safely keep and maintain all accounts and records of students and staff, the same can be inspected by the departmental officials any time.
5. "Parent-Teacher Association" should be formed to ensure participation of parents of students studying in the school.
6. The school should strive for making continuous efforts to get best academic quality criteria. During each three year period, all teachers should be trained at least once in their respective teaching subjects.
7. Once approved, after due inspection, the Society/Trust will not change any of the parameters claimed at the time of recognition. School Education Department officials can inspect school premises at any time. During inspection, if Society/Trust is found not following declared standards, then Divisional Joint Director can act as given in sub-rule (1) of rule 11, and can suspend school's accreditation.
8. If School is not found to follow conditions and responsibilities given under Rule 5 and 9 as well as instructions and guidance issued by Department from time to time, the undersigned will have the power to suspend the school's recognition on the basis of investigation.
9. In case of any Explanation Call, if the reply received from Society/Trust is not found to be satisfactory, then after giving last hearing opportunity, the school's recognition can be canceled.
10. Upon withdrawal of recognition, Security Fee deposited will be fully or partly, as specified in the order, will be seized.
11. It will be mandatory to get affiliation with the Central Board Secondary Education, and follow all norms as given in Affiliation Bye Laws.
12. In case of any dispute, the jurisdiction of the Court shall be at Bhopal.
13. School should strictly follow Fee Regulation Act published by School Education Department, Govt. of MP – 'मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियम) अधिनियम - क्र. एफ-37-4-2017-20-3) published as on 26 June, 2018.

Signature valid
Digitally Signed by Rajeev Singh Tomar
(Personal)
Date : 10-Feb-2021 13:19:19 IST

संभागीय संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण,
मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश शासन .
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन,भोपाल-462004

क्रमांक-1111 /1242/2017/20-3 भोपाल, दि027/6/2017

प्रति,

सचिव
सी0बी0एस0ई0
नई दिल्ली।

विषयः- अशासकीय संस्था को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वावत्।

राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय संस्था-**संस्कार पब्लिक स्कूल रायसेन,** जिला **रायसेन,** मध्यप्रदेश को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु ***अनापत्ति प्रमाण*** पत्र निम्नलिखित शर्तो के आधार पर प्रदान किया जाता है:-

(1) प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएं स्थापित हो चुकी है, उनका लाभ प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सकें इस हेतु संस्था की कार्यकारिणी में म0प्र0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जाय।

(2) विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान छात्रावास भवन सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखाया जाय।

(3) इस संस्थाओं के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।

(4) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी **मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017** में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।

(5) संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

(6) प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेंगे।

निरन्तर..2

(7) अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रकिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा।

(8) छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तके एवं लेखन सामग्री खुले बाजार से कय करने की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से कय करने की बाध्यता नहीं रहेगी।

(9) शिक्षण संस्थाओं में मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कियाशील अग्नि-शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा।

(10) संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस निवास तक भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एल0पी0जी0 आदि से संचालित नहीं किया जायेगा।

(11) निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(12) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(प्रमोद सिंह)
उप सचिव
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0 कमांक 1112/1242/2017/20-3 भोपाल, दि0 27/6/2017

प्रतिलिपिः-

(1) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म0प्र0 भोपाल।

(2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0 भोपाल।

(3) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग भोपाल, म0प्र0

निरन्तर..3

PRINCIPAL
SANSKAR PUBLIC SCHOOL
RAISEN

Maharaj Singh Kushwaha
Digitally signed by Maharaj Singh Kushwaha
Date: 2021.06.16 10:42:55 +05'30'